

संख्या ए-35021/02/2019-एन.टी.एच.

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
उपभोक्ता मामले विभाग  
(राष्ट्रीय परीक्षण शाला प्रभाग)

12/2, जाम नगर हाऊस, नई दिल्ली  
दिनांक 22 अप्रैल, 2025

### रिक्ति परिपत्र

**विषय:** राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (₹67,700 - 2,08,700) में प्रशासनिक अधिकारी के पद को समग्र पद्धति [पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)] के आधार पर भरा जाना।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता मामले विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (67700-208700 रुपये) में प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'ए', राजपत्रित, गैर-अनुसंचिवीय के पद को समग्र पद्धति [पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)] के आधार पर निम्नलिखित में से भरने का निर्णय लिया गया है:-

I. केंद्र सरकार / राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्रों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / अनुसंधान संस्थानों / विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने -

- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; अथवा  
(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100 - 1,77,500) के पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो;

### तथा

- (ख) नीचे विनिर्दिष्ट की गई अर्हताएं और अनुभव धारित करता हो -  
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री; और  
(ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त अथवा सांविधिक निकाय में लेखा, प्रशासन और स्थापना कार्यों में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो;

II. वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में ₹56,100 – 1,77,500 रूपए के ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके विभागीय प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-I) पर भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने की स्थिति में इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।

III. प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी अवधि केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

IV. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

V. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 से पहले अथवा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मैट्रिक्स में संशोधित स्तर को लागू किए जाने की तारीख से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू वेतन मैट्रिक्स में तदनुरूपी स्तर में दी गई सेवा समझा जाएगा सिवाय वहां जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमानों को वेतन मैट्रिक्स में साझा स्तर के साथ एक ग्रेड में मिला दिया गया हो और जहां यह लाभ केवल उन पद (दों) के लिए होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में वह स्तर बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

## 2. तैनाती का स्थान कोलकाता है।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त योग्यताओं तथा अनुभव को पूरा करने वाले इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें इस पद पर उनका चयन हो जाने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन संलग्न प्ररूप (परिशिष्ट-1) में, 5 वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट (जिनका प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो, जो अवर सचिव से कम के स्तर का न हो,) सर्तकता निकासी, पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई शास्ति नहीं संबंधी विवरण, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और संवर्ग निकासी (संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार) सहित, अवर सचिव( राष्ट्रीय परीक्षण शाला ), उपभोक्ता मामले विभाग, 12/2, जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011 को हार्ड कॉपी में तथा ईमेल ([aamir.edu@nic.in](mailto:aamir.edu@nic.in)) पर, Employment News / रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी होने की तिथि से 45 दिनों (पैंतीलीस दिनों) के अंदर उचित माध्यम के द्वारा अग्रेषित कर दिए जाएं। उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. चयन हो जाने के उपरांत आवेदकों को किसी भी आधार पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*मौ. आमिर*

(मौ. आमिर)

अवर सचिव, भारत सरकार  
ईमेल- [aamir.edu@nic.in](mailto:aamir.edu@nic.in)

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को व्यापक परिचालन के अनुरोध के साथ।
3. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, सी पी ब्लॉक, सेक्टर-V, साल्ट लेक, कोलकाता-700009, को इस अनुरोध के साथ कि इसे एन.टी.एच. की वेबसाइट पर भी अपलोड करें।
4. एन.आई.सी., उपभोक्ता मामले विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि व्यापक परिचालन के लिए इस रिक्ति परिपत्र को विभाग की वेबसाइट <http://consumeraffairs.nic.in> पर अपलोड करें।

*मौ. आमिर*

(मौ. आमिर)

(अवर सचिव, भारत सरकार)

## बायो-डाटा/जीवन वृत्त का प्रोफार्मा

1. नाम और पता (बड़े अक्षरों में)	
2. जन्मतिथि (ईस्वी सन में)	
3.i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं संतोषजनक हैं। (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी अर्हता के समतुल्य समझा गया हो तो, उसके लिए प्राधिकारी का उल्लेख करें।)	
विज्ञापन/ रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित की गई वांछित अर्हताएं/ अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित किए गए अर्हताएं/ अनुभव
अनिवार्य	अनिवार्य
क) अर्हता	क) अर्हता
ख) अनुभव	ख) अनुभव
वांछित	वांछित
(क) अर्हता	क) अर्हता
(ख) अनुभव	ख) अनुभव
5.1 नोट: रोजगार समाचार में परिपत्र के जारी होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा भर्ती नियमों में उल्लिखित वांछित और अनिवार्य अर्हताओं को दर्शाने के लिए इस कॉलम को विस्तृत किया जाना अपेक्षित है।	
5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में, वैकल्पिक/अनिवार्य विषयों को अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित किया जाए।	
6. कृपया आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से यह बताएं।	

कि क्या आप पद की अनिवार्य अर्हताओं को पूरा करते हैं।

6.1 नोट: आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा धारित संगत अनिवार्य अर्हता/ कार्य अनुभव(बायोडाटा में यथा उल्लिखित) विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/मत की पुष्टि करते हुए प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

7. कालक्रम के अनुसार नियोजन के ब्यौरे। यदि नीचे जगह कम हो तो अपने विधिवत हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित अलग कागज संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*नियमित आधार पर धारित किए गए पद का वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/वेतनमान	आवेदित पद के लिए आवश्यक अनुभव को रेखांकित करते हुए छूटियों की प्रकृति (विस्तृत)

\*महत्वपूर्णः ए.सी.पी. और एम.ए.सी.पी. के तहत अधिकारी को स्वीकृत किए गए पे-बैंड और ग्रेड वेतन वैयक्तिक होते हैं और इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित किए गए पद के पे-बैंड और ग्रेड वेतन का उल्लेख किया जाना चाहिए। जहां अभ्यर्थी द्वारा ऐसे वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में एसीपी/एमएसीपी का हितलाभ प्राप्त किया गया हो वहां ऐसे हितलाभ के ब्यौरो का उल्लेख निम्नानुसार किया जाए;

कार्यालय/संस्था	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के तहत आहरित वेतन, बैंड और ग्रेड वेतन	से	तक

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अथवा अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी			
9. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया बताएं:-			
क) प्रारंभिक	ख) प्रतिनियुक्ति	ग) मूल कार्यालय/	घ) वर्तमान संगठन

नियुक्ति की तिथि	संविदा पर नियुक्ति की अवधि	संगठन का नाम जिससे आप संबंधित है।	में कल्पित क्षमता में धारित पद का नाम तथा पद के लिए वेतन
9.1 नोट: अधिकारी के पहले से प्रतिनियुक्ति पर होने के मामले में, ऐसे अधिकारियों के आवेदनों को मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग निकासी, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए। 9.2 नोट: उपरोक्त कॉलम 9(ग) और (घ) के तहत मांगी गई सूचनाएं उन सभी मामलों में दी जानी चाहिए जहाँ किसी व्यक्ति ने संवर्ग संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण किया है लेकिन वह अभी अपने मूल संवर्ग/ संगठन में धरणाधिकार बनाए हुए हैं।			

10. यदि आवेदक द्वारा विगत समय में प्रतिनियुक्ति पर कोई पदधारण किया गया हो तो विगत प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तिथि और अन्य ब्यौरे।	
11. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे:  कृपया यह बताएं कि क्या निम्नलिखित के अधीन कार्यरत है:  (संगठन कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं)  क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार	

ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड) विश्वविद्यालय च) अन्य		
12. कृपया यह बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और फीडर ग्रेड या फीडर ग्रेड के फीडर में हैं।		
13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ तो उस तिथि का उल्लेख करें जब, संशोधन किया गया और संशोधन-पूर्व वेतनमान को भी बताएं।		
14. वर्तमान में प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां		
वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां
15. यदि आवेदक ऐसे संगठन से संबंधित हैं जो केन्द्र सरकार की वेतनमान का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो निम्नलिखित विवरण दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी आखिरी वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप)।		
वेतनमान सहित मूल वेतन और वृद्धि दर सहित	महंगाई/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (अलग-अलग ब्यौरे सहित)	कुल परिलब्धियां

16. (क) अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जो आपके द्वारा आवेदित पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में संगत हो

(इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में सूचनाएं दी जाएं):

- (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं
- (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण; और
- (iii) विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में निर्धारित कार्य अनुभव के अतिरिक्त अनुभव।

(टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें।)

16. (ख) उपलब्धियां:

अभ्यर्थी निम्नलिखित से संबंधित सूचना प्रदान करें-

- (i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजना;
  - (ii) पुरस्कर/छात्रवृत्ति/शासकीय प्रशस्ति;
  - (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/समितियों से सम्बद्धता;
  - (iv) स्वयं के नाम में पंजीकृत पेटेंट अथवा संगठन के लिए प्राप्त किए गए पेटेन्ट
  - (v) शासकीय पहचान सहित कोई अनुसंधान/नवोन्मेषी उपाय
  - (vi) कोई अन्य सूचना
- (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें।)

17. कृपया यह बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति

(आईएसटीसी)/ समामेलन(एबजार्वशन)/पुर्ननियोजन आधार पर आवेदन कर रहे हैं। (केवल केन्द्र/राज्य सरकारों के अधीन अधिकारी ही “एबजार्वशन” के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक संविदा के लिए पात्र हैं।)	
# 'एसटीसी' /'एबजार्वशन'/ 'पुर्ननियोजन' का विकल्प उसी स्थिति में उपलब्ध है जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी" अथवा 'एबजार्वशन' अथवा 'पुर्ननियोजन' द्वारा भर्ती का उल्लेख किया गया हो।	
18. क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं।	

मैंने रिक्ति पत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूं कि चयन समिति द्वारा पद पर चयन के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अर्हता/ कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित बायोडेटा में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/विवरण सही हैं और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं और किसी महत्वपूर्ण विवरण जो मेरे चयन से संबंधित है, को दबाया या छिपाया नहीं गया है।

(अभ्यार्थी के हस्ताक्षर)

पता \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

आदाता/मूल विभाग/ कार्यालय द्वारा नोट किए जाने वाले बिन्दु जिन्हें मंत्रालय/विभाग के अनुपालनार्थ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के परिपत्र में स्पष्ट किया जाएगा -

1. आमतौर पर यदि किसी अधिकारी पर छोटी शास्ति लगाई गई है तो दंड लगाए जाने के बाद से तीन वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी। आमतौर पर किसी बड़ी शास्ति के अधिरोपित किए जाने के मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2007 के का.ज्ञा सं. 11012/11/2007 स्थापना (ए) के अनुसार, दंड अधिरोपित किए जाने के बाद से 5 वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी।
2. जो अधिकारी शीघ्र ही अपनी कूलिंग ऑफ अवधि पूरा करने वाले हैं; उनके संबंध में आवेदनों को अग्रेषित करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.01.2013 के का.ज्ञा. सं. 2/1/2012 स्था. (पे II) में निहित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।
3. आदाता विभाग द्वारा विज्ञापन सहित एक प्रति वर्ड डाक्यूमेंट के रूप में डाउनलोड किए जा सकने वाले आवेदन पत्र में उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए।
4. यदि रोजगार समाचार में नामांकन/प्रकाशन को आमंत्रित करने की सूचना जारी करते समय रिक्ति पहले से मौजूद है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में नामांकन की प्राप्ति के लिए विनिर्धारित अंतिम तिथि से पात्रता निर्धारित की जा सकती है। प्रत्याशित रिक्ति के मामले में पात्रता निर्धारण की निर्णायिक तिथि वह तिथि होनी चाहिए जिस तिथि को रिक्ति होने की संभावना है।
5. रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में इसका उल्लेख मुख्य रूप से किया जाएगा कि अभ्यार्थियों के द्वारा दावाकृत अर्हता और अनुभव के समर्थन में समर्थनकारी प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों से रहित आवेदन/ सीधी को चयन के लिए अभ्यार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी।

6. आवेदकों की पात्रता को निर्धारित करने की निर्णयिक तिथि की गणना रोजगार समाचार में रिक्ति/पद के प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर की जाएगी अर्थात् 18 से 24 जनवरी 2014 के रोजगार समाचार में प्रकाशित रिक्ति के लिए निर्णयिक तिथि की गणना 19 जनवरी 2014 (प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर) से की जाएगी।

7. केन्द्रीय सरकार के वेतनमान का अनुसरण नहीं करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में कार्यरत आवेदकों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उनके वेतन/पद के समतुल्य वेतनमान के संबंध में आदाता विभाग द्वारा प्रतिपुष्टि की जा सकती है। जहां भी आवश्यक हो, इस संबंध में ब्यौरों से संबंधित अभिनिश्चय प्रदाता विभाग से किया जा सकता है।

## नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणन

आवेदक द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचनाएं/ब्यौरे अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सत्य और सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता/रखती है। यदि चयन होता है तो उसे तत्काल कार्य-भार मुक्त किया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- (i) श्री/श्रीमती..... के विरुद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला न ही लंबित है और न ही विचाराधीन है।
- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।
- (iii) इनके सीआर डोसियर की मूल प्रति संलग्न है। विगत 5 वर्ष के एसीआर की प्रतिलिपियां अवर सचिव, भारत सरकार के रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर की टैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित एवं संलग्न हैं।
- (iv) पिछले 10 वर्ष के दौरान इन पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है अथवा विगत 10 वर्ष के दौरान इन पर अधिरोपित की गई छोटी/बड़ी शास्तियों की सूची संलग्न हैं (जैसा भी मामला हो)।

(प्रतिहस्ताक्षरित)

(मोहर सहितसाथ नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी)